


- ❖ कोई भी पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।
- ❖ किसी उम्मीदवार की सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसे स्वास्थ्य परीक्षा में जो विहित की जाए, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त न पाया जाए।
- ❖ कोई भी उम्मीदवार किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसा कि आवश्यकता समझी जाये, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।
- ❖ कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहाँ तक किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हो तो उसकी नियुक्ति का मामला अपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने पर लंबित रखा जाए।

सहायक ग्रेड 3 के पदों हेतु चयन प्रक्रिया :-

अ- उम्मीदवारों से प्राप्त आवेदनों के जांच पश्चात् अर्हताधारी उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट लिस्ट तैयार कर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग कर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के श्रेणीवार 10 गुणा उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन / जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। दस्तावेजों का सत्यापन पश्चात् पात्र/अपात्र उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार किया जावेगा, उक्त विवरण इस जिले के अधिकारिक वेबसाइट <https://kawardha.gov.in> के माध्यम से देखा जा सकता है। पश्चात् पात्र उम्मीदवारों की कम्प्यूटर संबंधी दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जावेगा। कुल 100 अंक में से 80 अंक शैक्षिक योग्यता (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 80 प्रतिशत के बराबर अंक) तथा 20 अंक दक्षता/कौशल परीक्षा के लिये निर्धारित किया गया है। दक्षता/कौशल परीक्षा में 08 अंक पाना अनिवार्य होगा। दक्षता / कौशल परीक्षा में 10 अंक से कम पाने वाले उम्मीदवार अपात्र माने जायेंगे। यदि दो उम्मीदवार का अंक समान हो तब कौशल परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थी को चयन में वरीयता तय दी जाएगी, यदि शैक्षणिक योग्यता का अंक तथा कौशल परीक्षा का अंक समान हो तो उस स्थिति में जन्मतिथि को आधार मानकर वरीयता तय की जाएगी, जिस उम्मीदवार की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त अंक तथा दक्षता/कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक को जोड़कर वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी उसी के आधार पर उम्मीदवारों का चयन किया जावेगा।

ब- यदि दक्षता/कौशल परीक्षा के बाद चयन हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर मेरिट लिस्ट के 1 पद के विरुद्ध 10 गुणा के बाद नीचे के मेरिट लिस्ट में से 01 पद के विरुद्ध 05 गुणा उम्मीदवारों की प्राविधिक सूची तैयार कर दस्तावेजों के सत्यापन जांच हेतु आमंत्रित किया जावेगा। तदनुसार उपरोक्त दर्शित चयन प्रक्रिया के तहत चयन किया जावेगा।

(जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा स्वीकृति)


 जिला कार्यक्रम अधिकारी,
 महिला एवं बाल विकास विभाग
 जिला - कबीरधाम (छ.ग.)